

इसे वेबसाईट [www.govtprintmp.nic.in](http://www.govtprintmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 350 ]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 3 अगस्त 2013—श्रावण 12, शक 1935

वाणिज्यिक कर विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 अगस्त 2013

क्र. एफ-ए-3-15-2011-1-पांच (40).—मध्यप्रदेश वेट नियम, 2006 के नियम 23-क के साथ पठित मध्यप्रदेश विक्रय कर (केन्द्रीय) नियम, 1957 के नियम 7-क के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-15-2011-1-पांच (18), दिनांक 30 मार्च 2013 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, शब्द “जिसकी कुल वार्षिक राशि (टर्न ओवर) 1 करोड़ रुपये से अधिक है” के स्थान पर, शब्द “जिसकी मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 के अधीन कुल वार्षिक राशि (टर्न ओवर) 1 करोड़ रुपये से अधिक है” स्थापित किए जाएं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रामेश्वर मिश्र, उपसचिव,

भोपाल, दिनांक 3 अगस्त 2013

क्र. एफ-ए-3-15-2011-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-15-2011-1(40), दिनांक 3 अगस्त 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रामेश्वर मिश्र, उपसचिव,

Bhopal, the 3rd August 2013

No. F-A-3-15-2011-1-V (40).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of Rule 7-A of the Madhya Pradesh Sales Tax (Central) Rules, 1957 read with rule 23-A of the Madhya Pradesh Vat Rules, 2006, the State Government, hereby, makes the following amendment in this Department's Notification No. A-3-15-2011-1-V (18), Dated 30th March 2013, namely :—

#### AMENDMENT

In the said notification, for the words “whose annual turnover is more than rupees one crore”, the words “whose annual turnover is more than rupees one crore under the Madhya Pradesh Vat Act, 2002” shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
RAMESHWAR MISHRA, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 3 अगस्त 2013

क्र. एफ-ए-3-15-2011-1-पांच (41).—मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर नियम, 1976 के नियम 8-का द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-15-2011-1-पांच (19), दिनांक 30 मार्च 2013 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

#### संशोधन

उक्त अधिसूचना में, शब्द “जिसकी कुल वार्षिक राशि (टर्न ओवर) 1 करोड़ रुपये से अधिक है” के स्थान पर, शब्द “जिसकी मध्यप्रदेश वेट्र अधिनियम, 2002 के अधीन कुल वार्षिक राशि (टर्न ओवर) 1 करोड़ रुपये से अधिक है” स्थापित किए जाएं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रामेश्वर मिश्र, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 3 अगस्त 2013

क्र. एफ-ए-3-15-2011-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-15-2011-1 (41), दिनांक 3 अगस्त 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रामेश्वर मिश्र, उपसचिव.

Bhopal, the 3rd August 2013

No. F-A-3-15-2011-1-V (41).—In exercise of the powers conferred by Rule 8-A of the Madhya Pradesh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Niyam, 1976, the State Government, hereby, makes the following amendment in this Department's Notification No. A-3-15-2011-1-V (19), Dated 30th March 2013, namely :—

#### AMENDMENT

In the said notification, for the words “whose annual turnover is more than rupees one crore”, the words “whose annual turnover is more than rupees one crore under the Madhya Pradesh Vat Act, 2002” shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
RAMESHWAR MISHRA, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.